कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय पीलीभीत।

नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश पीलीभीत के आदेश दिनांक 06.01.2024 के अनुपालन में समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय पीलीभीत परिसर एवं ओल्ड जजेज कॉलोनी में एक गोल्ड मोहर एक नीम एवं तीन आम प्रजाती के वृक्षों की नीलामी दिनांक 24.01.2024 को समय 04:00 बजे अपराह्न जिला न्यायालय पीलीभीत के सभागार में होगी। नीलाम सबसे अधिक बोली बोलने वाले ठेकेदार के पक्ष में जिला जज महोदय की स्वीकृती के आधीन समाप्त किया जायेगा। जिसके पक्ष में नीलाम छूटेगा, उसे नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी एवं नियमानुसार देय भी ठेकेदार को देने होंगे। नीलामी में भाग लेने से पूर्व ठेकेदार को 5000रू अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा। नीलाम की अन्य शर्तों के बारे में कोई भी जानकारी केन्द्रीय नाजिर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
पीलीभीत।

क्रम सं0	प्रजाति	वृक्षों की सं0
1.	आम	03
2.	गोल्ड मोहर	01
3.	नीम	01

प्रतिलिपी निम्नलिखित कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

1. दीवानी न्यायालय पीलीभीत।
2. कार्यालय कलैक्टेट पीलीभीत।
3. कार्यालय जिला परिषद पीलीभीत।
4. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग पीलीभीत।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पीलीभीत।
6. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन विभाग पीलीभीत।
7. जिला सूचना अधिकारी को उक्त विज्ञप्ति को स्थानीय अखबार में निशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
8. जिला जजी पीलीभीत एवं माननीय उच्च न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
पीलीभीत।

जनपद न्यायालय पीलीभीत परिसर एवं ओल्ड जजेज कॉलोनी में एक गोल्ड मोहर एक नीम एवं तीन आम प्रजाती के वृक्षों की नीलामी हेतु नीलाम की नियम व शर्तें–

1. जनपद न्यायालय पीलीभीत परिसर में खड़ेएक गोल्ड मोहर एक नीम एवं तीन आम प्रजाती के वृक्षो की नीलामी दिनांक 24.01.2024 को सांय 4.00 बजे जनपद न्यायालय, पीलीभीत के सभागार में अद्योहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष की जायेगी।

2. नीलामी में बोलीदाता को जमानत/धरोहर राशि 5000 रु नकद धनराशि के रूप में नीलामी की नियत दिनांक से पूर्व नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी। नीलामी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की दशा में जमानत/धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

3. उपरोक्त पेड़ों की नीलामी जहॉ है, जैसे है के आधार पर की जायेगी। नीलामी हेतु पेड़ों का निरीक्षण इच्छुक ठेकेदार द्वारा किसी भी कार्य दिवस में नीलामी की तिथि से पूर्व किया जा सकता है।

4. अन्तिम बोली छूटने वाले ठेकेदार को अपने व्यय पर पेड़ों का कटान कराना होगा तथा पेड़ों की लकड़ी का अवागमन खर्च भी ठेकेदार द्वारा देय होगा।

5. ठेकेदार द्वारा पेड़ों के कटान के समय पूर्ण सावधानी बरती जायेगी। किसी भी प्रकार की जन–धन हानि होने पर ठेकेदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

6. जमानत/धरोहर धनराशि जमा करते समय बोलीदाता को दो पास पोर्ट साइज फोटो एवं पहचान पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटो कापी जनपद न्यायालय पीलीभीत के नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी।

7. पेड़ों को जहॉ भी जैसी भी स्थिति में, के आधार पर नीलाम कर दिया जायेगा तथा बाद में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. सर्वाधिक बोलीदाता को सर्वोच्च स्वीकृत बोली की 1/2 भाग की धनराशि उसी समय जमा करनी होगी एवं शेष 1/2 भाग की धनराशि कटान करने से पूर्व जमा करनी होगी।ठेकेदार द्वारा 07 दिनों के अन्दर पेड़ों का कटान करना होगा।

9. सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0 भी जमा करना होगा।

10. नीलामी में असफल व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी, जमानत/धरोहर धनराशि उसी दिन नीलामी के उपरान्त वापिस कर दी जायेगी।

11. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश पीलीभीत का निर्णय सर्वमान्य तथा अन्तिम होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

दिनांक– 11.01.2024

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज
पीलीभीत।